

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
भू-अर्जन निदेशालय  
बिहार, पटना

अधिसूचना

तारीख.../.../2013

सं०.....आर०  
चूंकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि गाँव - सदूरी थाना नं० - 188, परगाना- सीरिस, थाना- बारूण, जिला- औरंगाबाद में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के लिये सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गाँव- सदूरी के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप के कम वेश, जो 3.8399 एकड़ के बराबर होता है और जिसकी अधिकृत खेसरा सं० एवं चौहदी निम्न प्रकार हैं :-

अधिकृत खेसरा सं० -

पूर्ण - 162, 179,

अंश - 127, 181

उत्तर :- 109, 111, 161, 158, 180, 155, 184

पूरब :- 132, 173, 180, 183, 184

दक्षिण :- 172, 165, 180 बांध

पश्चिम :- 125, 128, 178, 180, 155 बांध

यह अधिसूचना अधिनियम 1894 कि धारा 4 के उपबंधों के अधीन (यथा भू-अर्जन अधिनियम 1984 द्वारा संशोधित) उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद के कार्यालय में देखा जा सकता है। समाहर्ता, औरंगाबाद भू-अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना के संबंध आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे नवीनगर जेनरेटिंग पावर कारपोरेशन लि० पटना के पदाधिकारी और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उनका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिये अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिये प्राधिकृत करते हैं।

उक्त अधिनियम को धारा 17 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने परियोजना की शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5A (2) के उपबंध लागू नहीं होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

समाहर्ता 9/5  
औरंगाबाद।

ज्ञाप सं० - 14/डी०एल०ए० (एन०पी०जी०सी०) औरंगाबाद- 126/13 - 1896/रा०  
पटना, दिनांक-24-07-13

- प्रतिलिपि 1. तीन प्रतियां में सी० डी० के साथ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद को भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, औरंगाबाद को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 5 प्रतियां जिला भू-अर्जन कार्यालय, औरंगाबाद को भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. समाहर्ता, /जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4. आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि 5. जिला अवर निबंधक, औरंगाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि 6. आई०टी०, मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

OW  
22/7/13  
(नरोत्तम प्रसाद सिंह)  
सरकार के अवर सचिव।